भारत सरकार

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1802

बुधवार, दिनांक 30 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

कर्नाटक में 'पीएम-कुसुम' योजना

1802. डॉ. के. सुधाकरः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री-किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) कृषि में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने में किस प्रकार सहायता कर रह है;

(ख) सरकार किस प्रकार कृषि में उक्त योजना को तेजी से अपनाने को बढ़ावा दे रही है;

(ग) क्या सरकार पीएम-कुसुम के अंतर्गत अन्नदाता से ऊर्जादाता पहल को कार्यान्वित कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त पहल किस प्रकार किसानों को ऊर्जा उत्पादक बनाने में सहायता कर रही है तथा उक्त पहल से जुड़े प्रमुख लाभ क्या है;

(घ) कर्नाटक में, विशेषकर चिक्कबल्लापुर में, पीएम-कुसुम के कार्यान्वयन की जिलावार स्थिति क्या है; और

(ड.) वर्तमान में पीएम-कुसुम के अंतर्गत कवर किए गए किसानों की राज्यवार कुल संख्या कितनी है?

उत्तर

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) और (ख) सरकार द्वारा मार्च 2019 में पीएम-कुसुम योजना की शुरूआत कृषि क्षेत्र को डीजल मुक्त करने, दिन के समय सुनिश्चित सौर ऊर्जा विद्युत उपलब्ध कराने और किसानों को ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करने के उद्देशय से की गई थी। इस योजना के तीन घटक हैं:

(i) घटक 'क': किसानों द्वारा अपनी भूमि पर 10,000 मे क्षमता मेगावाट के विकेन्द्रीकृत ग्राउंड/स्टिल्ट माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड सौर या अन्य नवीकरणीय ऊर्जा आधारित विद्युत संयंत्रों की स्थापना;

(ii) घटक 'ख': 14 लाख स्टैंडअलोन ऑफ-ग्रिड सौर जल पंपों की स्थापना; तथा

(iii) घटक 'ग': फीडर स्तरीय सौरीकरण (एफएलएस) सहित 35 लाख मौजूदा ग्रिड कनेक्टेड कृषि पंपों का सौरीकरण।

इस योजना में घटक ख और घटक ग के बीच मात्राओं का परस्पर अंतरण किया जा सकता है।

पीएम-कुसुम योजना के अंतर्गत उपलब्ध प्रोत्साहनों का विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(ग) पीएम-कुसुम, किसानों को सौर ऊर्जा अपनाने, के लिए प्रेरित कर रही है, जिससे वे अन्नदाता के साथ-साथ ऊर्जादाता बनकर अपनी आय में वृद्धि कर सकें । इस योजना के मुख्य लाभ और सकारात्मक प्रभाव इस प्रकार हैः-

- किसान अपनी भूमि पर 2 मेगावाट तक का ग्रिड कनेक्टेड सौर विद्युत संयंत्र स्थापित कर सकते हैं और अधिशेष (सरप्लस) विद्युत को डिस्कॉम को बेचकर अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं।
- यह योजना स्टैण्ड-अलोन सौर पंपों की स्थापना के माध्यम से तथा ग्रिड कनेक्टेड मौजूदा पंपों के सौरीकरण से भी कृषि श्रेत्र को डीजल मुक्त करने में सहायता करती है।
- फीडर स्तर पर सौरीकरण की सहायता से यह योजना किसानों को दिन के समय सुनिश्चित और विद्युत कराती है और राज्य को कृषि के लिए मुक्त/सब्सिडीयुक्त बिजली उपलब्ध कराने के वित्तीय बोझ से राहत देती है।

(घ) पीएम-कुसुम एक मांग-आधारित योजना है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त मांग के आधार पर क्षमताओं का आवंटन किया जाता है । कर्नाटक राज्य के संबंध में, राज्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनना के अनुसार, दिनांक 24.07.2025 तक, कार्यान्वयन की स्थिति निम्नानुसार है :

घटक	स्वीकृत	स्थापित / सौरकृत
ख (पंपों की संख्या)	41,365	2,388
ग (एफएलएस) (पंपों की संख्या)	6,28,588	23,133

घटक-क और घटक-ग (व्यक्तिगत पंप सौरीकरण) के अंतर्गत राज्य द्वारा कोई मांग नहीं रखी गई है। कर्नाटक राज्य में जिला-वार प्रगति **अनुलग्नक II** में दी गई है।

(ड.) एसआईए द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर, पीएम कुसुम के अंतर्गत लाभान्वित किसानों की कुल संख्या **अनुलग्नक III** में दी गई है।

'कर्नाटक में 'पीएम-कुसुम' योजना' के संबंध में पूछे गए दिनांक 30.07.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1802 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

पीएम-कुसुम योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन

घटक	**वित्तीय सहायता उपलब्ध**
घटक क :	डिस्कॉम को खरीद आधारित प्रोत्साहन (पीबीआई) 40 पैसे/किलोवाट घंटा या 6.60 लाख रुपये/मेगावाट/वर्ष, जो भी कम हो, की दर से पाँच वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। इस घटक के अंतर्गत कोई सीएफए नहीं है।
घटक ख **घटक ग (व्यक्तिगत पंप सौरीकरण)**	• एमएनआरई द्वारा जारी बेंचमार्क लागत का 30% या निविदा में खोजी गई प्रणालियों की कीमत, जो भी कम हो, का सीएफए प्रदान किया जाता है। • तथापि, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी बेंचमार्क लागत का 50% या निविदा में प्राप्त प्रणालियों की कीमतें, जो भी कम हो, सीएफए प्रदान किया जाता है। • इसके अतिरिक्त, संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश को कम से कम 30% वित्तीय सहायता प्रदान करनी होगी। शेष लागत लाभार्थी द्वारा वहन की जाएगी। • घटक बी और घटक सी (आईपीएस) को राज्य की 30% हिस्सेदारी के बिना भी लागू किया जा सकता है। केंद्रीय वित्तीय सहायता 30% बनी रहेगी और शेष 70% किसान द्वारा वहन किया जाएगा।
घटक ग (फीडर स्तर सौरीकरण)	कृषि फीडर सौरीकरण के लिए, प्रति मेगावाट 1.05 करोड़ रुपये (पूर्वोत्तर क्षेत्र/पहाड़ी/द्वीपीय क्षेत्रों के लिए 1.75 करोड़ रु. प्रति मेगावाट) का सीएफए प्रदान किया जाता है। इसमें भाग लेने वाले राज्य/केंद्र शासित प्रदेश से वित्तीय सहायता की कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। फीडर सौरीकरण को कैपेक्स या रेस्को मोड में कार्यान्वित किया जा सकता है।

'कर्नाटक में 'पीएम-कुसुम' योजना' के संबंध में पूछे गए दिनांक 30.07.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1802 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II

कर्नाटक में पीएम-कुसुम योजना के तहत जिला-वार प्रगति (दिनांक **24.07.2025** की स्थिति के अनुसार)

क्रं सं	जिले का नाम	घटक-ख (स्थापित सौर पंपों की संख्या)	घटक-ग (एफएलएस) (ग्रिड कनेक्टेड सौरीकृत पंपों की संख्या)
1.	बागलकोट	55	352
2.	बैंगलोर ग्रामीण	15	0
3.	बैंगलोर शहरी	3	0
4.	बेलागुम	322	0
5.	बेल्लारी	16	0
6.	बीदर	21	0
7.	चामराजनगर	34	584
8.	चिकमंगलूर	92	0
9.	**चिकबलपुर**	**4**	**5,364**
10.	चित्रदुर्ग	183	2,445
11.	दक्षिण कन्नड़	32	0
12.	दावनगेरे	176	1,334
13.	धारवाड़	108	0
14.	गडग	26	725
15.	हसन	46	0
16.	हावेरी	81	0
17.	कलबुर्गी	215	0
18.	कोडागू	15	0
19.	कोलार	1	1,163
20.	कोप्पल	41	0
21.	मंड्या	67	0
22.	मैसूर	51	0
23.	रायचूर	64	0
24.	रामनगर में	18	3,788
25.	शिवमोगा	257	0
26.	तुमकुर	94	6,160
27.	उत्तर कन्नड़	32	0
28.	विजयनगर	58	0
29.	विजयपुरा	198	1,218
30.	यादगीर	62	0
31.	उडुपी	1	0
	कुल	**2,388**	**23,133**

'कर्नाटक में 'पीएम-कुसुम' योजना' के संबंध में पूछे गए दिनांक 30.07.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1802 के भाग (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-III

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार पीएम-कुसुम योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों का विवरण (दिनांक 30.06.2025 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	पीएम कुसुम के अंतर्गत लाभान्वित किसानों की कुल संख्या
1	अरुणाचल प्रदेश	577
2	छत्तीसगढ	9
3	गोवा	800
4	गुजरात	195541
5	हरियाणा	157085
6	हिमाचल प्रदेश	1099
7	जम्मू और कश्मीर	2890
8	झारखंड	35459
9	कर्नाटक	23761
10	केरल	13171
11	मध्य प्रदेश	23673
12	महाराष्ट्र	727021
13	मणिपुर	78
14	मेघालय	98
15	मिजोरम	40
16	नगालैंड	65
17	ओडिशा	5716
18	पंजाब	15025
19	राजस्थान	156268
20	तमिलनाडु	4189
21	त्रिपुरा	5256
22	उत्तर प्रदेश	70409
23	उत्तराखंड	1367
24	पश्चिम बंगाल	20
	कुल	**14,39,617**

*****